महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 104

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		7200.00	62.00	7262.00	6850.00	69.00	6919.00	7200.00	78.00	7278.00
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**7200.00**	**62.00**	**7262.00**	**6850.00**	**69.00**	**6919.00**	**7200.00**	**78.00**	**7278.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं (आईटी)	2251	2.00	14.04	16.04	1.00	16.74	17.74	1.00	17.44	18.44
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
बाल कल्याण										
2. समेकित बाल विकास सेवाएं	2235	42.20	...	42.20	15.20	...	15.20	34.69	...	34.69
(आईसीडीएस)	3601	5589.00	...	5589.00	5592.00	...	5592.00	5911.21	...	5911.21
	3602	34.00	...	34.00	58.00	...	58.00	80.50	...	80.50
	जोड़	*5665.20*	*...*	*5665.20*	*5665.20*	*...*	*5665.20*	*6026.40*	*...*	*6026.40*
3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विकास सेवा परियोजनाएं	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. आईसीडीएस के अन्तर्गत	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्रशिक्षण कार्यक्रम	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80
6. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं										
बाल विकास संस्थान	2235	16.50	9.00	25.50	7.06	12.16	19.22	10.00	14.15	24.15
7. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु										
राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	90.00	6.10	96.10	90.00	1.88	91.88	90.00	1.52	91.52
8. शिशुगृह योजना										
(पूर्ववर्ती - देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने										
के लिए शिशुओं एवं छोटे बच्चों हेतु गृह)	2235	2.70	...	2.70	2.52	...	2.52	2.70	...	2.70
9. बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम	2235	9.00	...	9.00	11.25	...	11.25	9.00	...	9.00
10. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद										
बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	6.30	...	6.30	7.65	...	7.65	6.30	...	6.30
11. किशोरों के कुसामंजस्य का निवारण	2235	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
एवं नियंत्रण की स्कीम	3601	15.80	...	15.80	18.60	...	18.60	15.80	...	15.80
	3602	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	18.00	...	18.00	19.80	...	19.80	18.00	...	18.00
12. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी	2235	1.80	2.00	3.80	1.26	1.90	3.16	1.80	2.00	3.80
13. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	50.00	...	50.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
	3601	117.22	...	117.22	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
	3602	12.78	...	12.78	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
	जोड़	180.00	...	180.00	54.00	...	54.00	54.00	...	54.00
14. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद										
हस्तांतरण स्कीम	2235	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
15. अन्य योजनाएं	2235	60.10	0.53	60.63	69.53	0.68	70.21	56.50	0.68	57.18
जोड़-बाल कल्याण		*6058.60*	*21.43*	*6080.03*	*5937.27*	*20.42*	*5957.69*	*6284.70*	*22.15*	*6306.85*
महिला कल्याण										
16. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठयक्रम	2235	6.30	...	6.30	6.30	...	6.30	6.30	...	6.30
17. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	2235	17.98	...	17.98	9.88	...	9.88	8.98	...	8.98
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*18.00*	*...*	*18.00*	*9.90*	*...*	*9.90*	*9.00*	*...*	*9.00*
18 प्रशिक्षण और रोजगार										
कार्यक्रम को सहायता	2235	33.30	...	33.30	23.00	...	23.00	12.00	...	12.00
19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	23.40	13.25	36.65	25.13	15.54	40.67	23.40	20.07	43.47
20. अल्पावास गृह	2235	14.40	1.50	15.90	14.40	1.50	15.90	14.40	1.50	15.90
21. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40
22. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	4.50	2.75	7.25	4.50	3.50	8.00	4.50	4.56	9.06
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	20.00	...	20.00
24. स्वयंसिद्धा	2235	49.70	...	49.70	8.07	...	8.07	4.97	...	4.97
	3601	115.50	...	115.50	30.00	...	30.00	13.55	...	13.55
	3602	14.80	...	14.80	7.00	...	7.00	1.48	...	1.48
	जोड़	180.00	...	180.00	45.07	...	45.07	20.00	...	20.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
25. स्वाधार	2235	18.00	...	18.00	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50
26. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (पूर्ववर्ती देह व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए योजना)	2235	9.00	...	9.00	5.40	...	5.40	4.50	...	4.50
27. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	27.00	...	27.00
28. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व के विकास की स्कीम	2235	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
	3601	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
	3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
	जोड़	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
29. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	2.70	...	2.70	1.17	...	1.17	1.80	...	1.80
30. अन्य कार्यक्रम	2235	36.00	0.20	36.20	4.50	0.16	4.66	18.00	0.20	18.20
जोड़-महिला कल्याण		*409.50*	*17.70*	*427.20*	*216.77*	*20.70*	*237.47*	*184.30*	*26.33*	*210.63*
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार		*6468.10*	*39.13*	*6507.23*	*6154.04*	*41.12*	*6195.16*	*6469.00*	*48.48*	*6517.48*
31. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.60	...	0.60
	3601	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*0.90*	*...*	*0.90*	*0.90*	*...*	*0.90*	*1.00*	*...*	*1.00*
32. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	9.00	8.83	17.83	9.06	11.14	20.20	9.00	12.08	21.08
जोड़-पोषाहार		*9.90*	*8.83*	*18.73*	*9.96*	*11.14*	*21.10*	*10.00*	*12.08*	*22.08*
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
33.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	679.40	...	679.40	664.36	...	664.36	704.30	...	704.30
33.02 समाज कल्याण - महिला कल्याण हेतु प्रावधान	2552	39.50	...	39.50	19.53	...	19.53	14.70	...	14.70
33.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	1.10	...	1.10	1.11	...	1.11	1.00	...	1.00
	जोड़	*720.00*	*...*	*720.00*	*685.00*	*...*	*685.00*	*720.00*	*...*	*720.00*
कुल जोड़		***7200.00***	***62.00***	***7262.00***	***6850.00***	***69.00***	***6919.00***	***7200.00***	***78.00***	***7278.00***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	6468.10	...	6468.10	6154.04	...	6154.04	6469.00	...	6469.00
3. पोषाहार	22236	9.90	...	9.90	9.96	...	9.96	10.00	...	10.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	720.00	...	720.00	685.00	...	685.00	720.00	...	720.00
जोड़		**7200.00**	**...**	**7200.00**	**6850.00**	**...**	**6850.00**	**7200.00**	**...**	**7200.00**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं :** इसमें विभाग के सचिवालय तथा इसके भुगतान एवं लेखा कार्यालय के व्यय की व्यवस्था की गई है । सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1.00 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है ।

2. **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) :** छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है । इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल होती हैं । 31.01.2009 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 7073 परियोजनाएं एवं 12.36 लाख आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 2008-09 के दौरान आईसीडीएस योजना के तीसरे चरण का विस्तार भी शामिल है। आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत बजट आबंटन में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण हेतु केंद्र द्वारा सहायता के लिए प्रावधान, किशोरी शक्ति योजना हेतु प्रावधान और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना हेतु प्रावधान शामिल हैं। आई.सी.डी.एस. हेतु 6026.40 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 678.60 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे ।

5. **यूनीसेफ को अंशदान :** यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए हर वर्ष प्रावधान किया जाता है ।

6. **राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) :** इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और संवर्धन करना है । यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा बेंगलूर, गोवाहाटी, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों सहित दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यह संस्थान स्व-सहायता दल आधारित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों, स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रुप में उभर कर आया है । विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 10.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

7. **कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम :** स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है । इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे शिशु गृह ऐसे बच्चों को, जिनके माता-पिता दूर कार्य स्थलों पर हैं या बीमारी के कारण अक्षम हैं तथा जो अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरक्षण आदि उपलब्ध कराते हैं । इस स्कीम का कार्यान्वयन सम्पूर्ण देश में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर के दो अन्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है । 31.01.2009 तक की स्थिति के अनुसार 31,737 से अधिक शिशु गृह कार्य कर रहे हैं । 90.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 10 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

8. **शिशुगृह स्कीम :** यह स्कीम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संस्थागत

देखभाल प्रदान करने तथा देश में दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास हेतु सरकारी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान कर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है । इस प्रकार, यह स्कीम देश के अंदर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने में सहायता करती है । 2.70 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के अलावा, 0.30 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के व्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

9. **बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम :** इस स्कीम का उद्देश्य बच्चों को निराश्रित होने से बचाना तथा उन्हें फुटपाथ की जिन्दगी से परिवार में वापसी में सहायता प्रदान करना है । इस स्कीम में बेसहारा बच्चों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें उत्पीड़न एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है । इस स्कीम के लक्षित वर्ग में बेघर और पारिवारिक समर्थन के बिना जीवन यापन करने वाले बच्चे हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं और उत्पीड़न और शोषण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं । चाइल्ड लाइन सर्विस जो अत्यधिक जरुरतमंद बेसहारा बच्चों के लिए 24 घंटे की टेलीफोन संपर्क सेवा है, इसी योजना के जरिए वित्तपोषित की जाती है। ऊपर दर्शाए गए 9.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 1.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

10. **कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम :** इस स्कीम का उद्देश्य श्रम मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बाल श्रमिकों तथा संभावित बाल श्रमिकों, विशेषकर मलिन बस्तियों/फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले/नशे के आदी बच्चों, रेलवे प्लैटफार्मों पर/रेलवे लाइनों के किनारे रहने वाले बच्चों, दुकानों एवं ढाबों में काम करने वाले बच्चों, उन बच्चों जिनके माता-पिता जेल में हैं, प्रवासी श्रमिकों/यौन कर्मियों, कुष्ठ रोगियों आदि के बच्चों के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान करना है । ऊपर दर्शाए गए 6.30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 0.70 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

11. **किशोरों के सामाजिक कुसामंजस्य के निवारण एवं नियंत्रण हेतु स्कीम:** यह स्कीम देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास का प्रावधान करती है । इस स्कीम के अंतर्गत, यह मंत्रालय देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु गृहों एवं संस्थानों की स्थापना एवं रखरखाव हेतु राज्य सरकारों को 50: 50 के आधार पर सहायता प्रदान करता है । ऊपर दर्शाए गए 18.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 2.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

12. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी : केंद्रीय** दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसे पंजीकृत किया गया । इस एजेंसी का मुख्य कार्य भारत से देश के बाहर दत्तक ग्रहण को विनियमित करने अलावा, देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना है । इस स्कीम हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित 2.00 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है ।

13. **समेकित बाल संरक्षण स्कीम :** इस मंत्रालय द्वारा सरकार एवं सिविल समाज की सहभागिता से बाल संरक्षण के मुद्दों के समाधान तथा बच्चों हेतु संरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में इस स्कीम को शुरू करने का प्रस्ताव है । बाल अधिकारों के संरक्षण के आधारभूत सिद्धान्तों का व्यापक अधिकार आधारित दृष्टिकोण तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित इस स्कीम का आधार हैं । निवारण एवं संरक्षण दोनों ही इस दृष्टिकोण का केंद्र बिन्दु हैं । ऊपर दर्शाए गए 54.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 6.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

14. **बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम :** यह स्कीम बालिकाओं के साथ उनके जीवन में कदम-कदम पर किये जाने वाले भेदभाव, जैसे मादा भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं का अभाव, हिंसा एवं उत्पीड़न, बाल विवाह, कम उम्र में बच्चों को जन्म देने, बार-बार गर्भधारण एवं प्रसव आदि के निवारण हेतु पिछड़े जिलों तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों की पात्रता शर्तों के आधार पर चुने गए कुछ ब्लॉकों में केंद्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक परियोजना है । नकद हस्तांतरण बालिकाओं के परिवार (जहां तक संभव होगा माताओं को) को कुछ शर्तों के अध्यधीन अर्थात् बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूल में नामांकन तथा पढ़ाई जारी रखवाने और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने की शर्तों को पूरा करने पर किया जाएगा । ऊपर दर्शाए गए अनुसार योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

15. **अन्य स्कीमें** (बाल कल्याण) **:** इनमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत विदेशी विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र को अंशदान, अनुसंधान प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन-प्रचार माध्यमों तथा प्रकाशन हेतु किए जाने वाले प्रावधान शामिल हैं । ऊपर दर्शाए गए 56.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, योजना परिव्यय के अंतर्गत 5.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

16. **महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यव्रम :** इस स्कीम का क्रियान्वयन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है । इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की वजह से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ होती हैं । इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने तथा बाद में रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठयक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता है । योजना के तहत 6.30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 0.70 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

17. **कामकाजी महिला होस्टल :** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यव्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है । यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है । ऊपर दर्शाए गए 9.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 1.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

18. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता :** इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि जैसे परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है । ऊपर दर्शाए गए 12.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 3.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

19. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड :** देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई । कई वर्षों से, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है । इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्श केंद्र, महिला मण्डल तथा अल्पावास गृह शामिल हैं । इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है । ऊपर दर्शाए गए 23.40 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 2.60 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

20. **अल्पावास गृह :** यह स्कीम ऐसी महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरों का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा संबंधी देखभाल, मामला विशिष्ट सेवाओं, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन संबंधी गतिविधियां और सामाजिक समायोजन सुविधाओं की परिकल्पना की गई है । मंत्रालय ने कुछ अल्पावास गृहों में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं । ऊपर दर्शाए गए 14.40 करोड़

रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 1.60 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

21. **जागरूकता विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उनमें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है । यह कार्यक्रम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है । ऊपर दर्शाए गए 5.40 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 0.60 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के व्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

22. **राष्ट्रीय महिला आयोग :** राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों एवं हितों को सुरक्षित रखने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केंद्रीय एवं राज्य कानूनों की समीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है । आयोग महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु उनसे याचिकाएं प्राप्त करता है । यह अपने अधिदेश के अंतर्गत कर्तव्यों के निष्पादन तथा अपने अनुरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त-पोषित एक सांविधिक निकाय है । ऊपर दर्शाए गए 4.50 करोड़ रुपये के आयोजना प्रावधान के अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 0.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

23. **राष्ट्रीय महिला कोष :** राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना वर्ष 1993 में 31 करोड़ रुपये की संचित निधि से की गयी । यह एक राष्ट्र स्तरीय लघु ऋण संस्थान है जो देश की निर्धन महिलाओं को उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए आयोत्पादक गतिविधियां शुरू करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से अर्द्ध-औपचारिक तरीके से छूट-रहित ऋण सुविधाएं प्रदान करने में संलग्न है । राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है तथा संचित निधि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने के लिए अनुमोदन मिल गया है । जरूरतों के आधार पर कोरपस राशि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा रही है । वर्ष 2009-10 में इस स्कीम के लिए 20.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है ।

24. **स्वयंसिद्धा :** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्व-सहायता समूहों के गठन, जागरुकता विकास, आर्थिक सशक्तिकरण एवं विभिन्न स्कीमों के संकेद्रण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की एक समेकित स्कीम है। इस समय स्वयंसिद्धा स्कीम के चरण-I का क्रियान्वयन 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 650 ब्लॉकों में किया जा रहा है । स्वयंसिद्धा के चरण-II का क्रियान्वयन पूरे देश के सभी ब्लॉकों में किया जाएगा तथा महिला विकास संसूचकों के आधार पर पिछड़े राज्यों में इसका और अधिक प्रसार किया जाएगा । स्वयंसिद्धा चरण-I एवं स्वशक्ति परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों, विशेषकर क्रियान्वयन तंत्र, क्षमता-निर्माण, गरीबी उपशमन के प्रति भागीदारी दृष्टिकोण तथा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामान्य समस्याओं एवं मुद्दों का समाधान करने से सम्बन्धित अनुभवों को सर्वसुलभ स्वयंसिद्धा को कार्यान्वित करते समय ध्यान में रखा जायेगा । ऊपर दर्शाया गया 20.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान योजना के लिए किया गया है।

25. **स्वाधार :** कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई । स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रुप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है । स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है । ऊपर दर्शाए गए 13.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 1.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

26. **देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम :** यह एक नयी स्कीम है, जिसका उद्देश्य देह व्यापार के निवारण और देह व्यापार पीड़ित महिलाओं को ऐसे व्यापार से छुड़ाने की कार्रवाई एवं उनके पुनर्वास में गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में सहायता प्रदान करना है । इस कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि पीड़ित महिलाओं को आश्रय गृह में लाने हेतु तथा उनके पुनर्वास एवं पीड़ितों को उनके परिवार/समुदाय से मिलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाय । ऊपर दर्शाए गए 4.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 0.50 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

27. **प्रियदर्शिनी :** महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम के रूप में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों और बिहार के दो जिलों में अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से शुरू की जानी है । इस परियोजना के लिए 27.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

28. **अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व विकास हेतु स्कीम :** सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग जिसकी संख्या 13.83 करोड़ है, को विकास का लाभ नहीं मिला है । इस वर्ग की महिलाएं दोहरी उपेक्षा की शिकार हैं। इन उपेक्षित महिलाओं की विकास लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रायोगिक रूप में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है । इस स्कीम के माध्यम से ऐसी महिलाओं को सहायता, नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उनका कौशल विकास किया जाएगा, ताकि वे अपने घरों की चारदीवारी एवं समुदाय से बाहर निकल सकें तथा सेवाओं, कौशलों तथा अवसरों तक पहुंच बनाने में अगुवा की भूमिका निभा सकें । वर्ष 2009-10 में इस स्कीम हेतु 5 करोड़ रुपये जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 0.50 करोड़ रुपये शामिल है, आबंटित किए गए।

29. **महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं लैंगिक आंकड़े :** मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना ब्यूरो गठित करने, कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, निगमित क्षेत्र आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने, प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार करने और क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित 0.20 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

30. **अन्य कार्यक्रम (महिला कल्याण) :** इस स्कीम में बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 20.00 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान शामिल है ।

31. **राष्ट्रीय पोषण मिशन :** प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में की गयी । राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की अध्यक्षा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं । इस मिशन का मूल उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्याप्त कुपोषण की समस्या का निवारण करना है । राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव है और इसलिए 1.00 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

32. **अन्य स्कीमें (पोषण शिक्षा स्कीम) :** भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण नीति अंगीकृत की तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण हेतु नोडल मंत्रालय बनाया । खाद्य एवं पोषण बोर्ड मुख्यतः पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय पोषण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में संलग्न है । ऊपर दर्शाए गए 9.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा, 1.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

33. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान :** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम के लाभार्थ प्रावधान शामिल है।